

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 903/2025

Jagram Meena S/o Prabhu Dayal, Aged About 58 Years, R/o A-64, Vivekanand Colony, Naya Kheda, Japur.

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Addi. Chief Secretary, Public Works Department, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. State Of Rajasthan, Through Secretary, Department Of Personnel, Government Of Rajasthan, Govt. Secretariat, Jaipur, Rajasthan.,
3. Joint Secretary, Department Of Personnel (K-3/complainant) Department, Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur.

-----Respondents

For Petitioner(s)

:

Mr. Rajesh Maharshi with
Mr. Shubham Saini
Mr. Devanshu Saini

For Respondent(s)

:

Mr. Vigyan Shah, AAG
Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

14/08/2025

बहस सुनी गई।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-474/2011 पुलिस थाना, एसीबी, जयपुर के संबंध में याची के विरुद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति आदेश एवं उसके निलम्बन आदेश को अपास्त किए जाने हेतु यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। आज न्यायालय के समक्ष याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि निलम्बन आदेश को अपास्त करने के संबंध में इस रिट याचिका में चाहे गये अनुतोष पर इस प्रक्रम पर बल नहीं देते हैं और वापस लेते हैं तथा इस अनुतोष के संबंध

में पृथक से सिविल रिट याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का निवेदन करते हैं।

विचार किया गया। याची के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है और इस रिट याचिका में याची के निलम्बन आदेश को अपास्त करने के संबंध में चाहे गये अनुतोष को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए इस संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

इस प्रकार यह रिट याचिका अब याची के विरुद्ध जारी अभियोजन स्वीकृत आदेश के संबंध में ही लंबित है।

अयाचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक ने नोटिस प्राप्त कर, इस रिट याचिका का जवाब पेश करने के लिए अवसर चाहा।

विद्वान अधिवक्ता याची की प्रार्थना पर अंतरिम अनुतोष पर सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम अनुतोष की प्रार्थना करते हुए यह प्रकट किया कि जो आलोच्य अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है, उसके अनुसरण में अब याचिकाकार के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इसी मामले से संबंधित अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 476/2011 में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 05.05.2025 के आदेश द्वारा किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही करने पर रोक लगा रखी है। अतः अंतरिम अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई।

अंतरिम अनुतोष पर विचार गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अंतरिम आदेश दिया जाता है कि आगामी तिथि तक अयाची विभाग इस मामले में याची के संबंध में जारी अभियोजन स्वीकृति के अनुसरण में कोई कार्यवाही नहीं करें। यह अंतरिम आदेश दिनांक 22.08.2025 तक ही प्रभावी रहेगा और उसके पश्चात् विशिष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

पत्रावली दिनांक 22.08.2025 को स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हेतु एकल पीठ दाण्डिक रिट याचिका संख्या 702/2025 के साथ सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J